




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004  
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1<sup>st</sup> FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004  
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ 01 दिनांक: 15.07.2022

प्रति,  
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 186/2022

विषय:- Indian Railways Medical Department Group 'B' Posts (Assistant Pharmacy Officer, Assistant Health Education Officer and Assistant Health Officer) Recruitment Rules, 2019.

विषयवस्तु पर प्रकाशित भारत का राजपत्र क्रमांक 406, रेल मंत्रालय की अधिसूचना [F.No.2010/E(G)RR/1/3] दिनांक: 12.07.2019 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-


**Web-site-**

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications


**Share Folder-**

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

  
15.7.22

(अशोक कुमार शर्मा)  
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2019/आषाढ़ 25, 1941

No. 406]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2019/ASHADHA 25, 1941

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 497(अ).**—राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल, चिकित्सा विभाग, समूह “ख” पद (सहायक फार्मैसी अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले की उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, को छोड़कर भारतीय रेल के चिकित्सा विभाग में सहायक फार्मैसी अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, चिकित्सा विभाग, समूह ‘ख’ पद (सहायक फार्मैसी अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।  
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता .- कोई भी व्यक्ति ,-**

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हो, विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो; या  
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

- 6. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक फार्मैसी अधिकारी	28 (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (रु. 47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

<p>प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
(11)	(12)	(13)
<p>मुख्य फार्मासिस्ट जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु.44900-142400) में हो एवं जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फार्मसी में डिग्री अथवा डिप्लोमा किया हो एवं भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के पैराग्राफ 204 में निर्धारित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा पास की हो और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित "मुख्य फार्मासिस्ट के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण माँड्यूल" भी सफलतापूर्वक पूरा किया हो</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक - अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा मुख्य कार्मिक अधिकारी - सदस्य; और</li> <li>3. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी	9* (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (रु. 47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>वरिष्ठ जिला विस्तार शिक्षक जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु.44900-142400) में हो एवं जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो एवं भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के पैराग्राफ 204 में निर्धारित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा पास की हो और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित "वरिष्ठ जिला विस्तार शिक्षक के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण माँड्यूल" भी सफलतापूर्वक पूरा किया हो</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक – अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और</li> <li>3. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी – सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	43* (2019) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रेल सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (रु.47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक ग्रेड-I जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु.44900-142400) में हो एवं जिसने स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. (रसायन) में डिग्री प्राप्त की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षण में एक वर्ष का डिप्लोमा किया हो; एवं भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I के पैराग्राफ 204 में निर्धारित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा पास की हो और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित "स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक ग्रेड-I के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण मॉड्यूल" भी सफलतापूर्वक पूरा किया हो</p> <p><b>टिप्पण 1.-</b> स्वास्थ्य और मलेरिया निरीक्षक ग्रेड-I के उन मामलों में बी.एससी. (रसायन) की डिग्री आवश्यक नहीं होगी जिनमें स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में भर्ती रेल मंत्रालय के दिनांक 24.05.1990 के पत्र सं. ई(एनजी) II/89/आरआर-1/7 के जारी होने से पहले हुई हो अथवा रेल मंत्रालय के दिनांक 09.09.1999 के पत्र सं. ई(एनजी) I/98/पीएम10/3 के जारी होने से पहले स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में प्रोन्नति हुई हो।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के</p>	<p><b>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक – अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अथवा मुख्य कार्मिक अधिकारी – सदस्य; और</li> <li>3. संबंधित क्षेत्रीय रेल अथवा उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामित किए गए किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभाग से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर का अधिकारी – सदस्य।</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>		
---	--	--

[फा. सं. 2010/ई(जी)आरआर/1/3]

नवीन कुमार, कार्यपालक निदेशक स्था.(राजपत्रित संवर्ग)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2019

**G.S.R. 497(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways, Medical Department, Group 'B' Posts (Assistant Pharmacy Officer, Assistant Health Education Officer and Assistant Health Officer) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Pharmacy Officer, Assistant Health Education Officer and Assistant Health Officer in the Medical Department of the Indian Railways, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Indian Railways, Medical Department, Group 'B' Posts (Assistant Pharmacy Officer, Assistant Health Education Officer and Assistant Health Officer) Recruitment Rules, 2019.  
  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** — The number of posts, their classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification. — No person,—**
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;  
or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Pharmacy Officer	28* (2019)  *Subject to variation dependent on workload	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47600-151100)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Chief Pharmacist in level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with two years' regular service in Level-7 of the pay matrix and possessing degree or diploma in Pharmacy from recognised University or institution and should have qualified the written test and viva-voce as prescribed in paragraph 204 of the Indian Railway Establishment Manual Volume I and also should have successfully undergone "Refresher Training Module for Chief Pharmacist" conducted by the Zonal Training Institutes  <b>Note.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Principal Chief Medical Director of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and 3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit — Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.



not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Health Education Officer	9* (2019) *Subject to variation dependent on workload	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47600-151100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Senior District Extension Educator in level-7(Rs. 44900-142400) of the pay matrix with two years' regular service in level-7 of the pay matrix and possessing degree from recognized University and should have qualified the written test and viva-voce as prescribed in paragraph 204 of the Indian Railway Establishment Manual Volume I and also should have successfully undergone "Refresher Training Module for Senior District Extension Educator" conducted by the Zonal Training Institutes</p> <p><b>Note.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Chief Medical Director of the concerned Zonal Railway or Production Unit — Chairman;</li> <li>2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit — Member; and</li> <li>3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Department represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit — Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Health Officer	43* (2019) *Subject to variation dependent on workload	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47600-151100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Health and Malaria Inspector Grade-I in level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix with two years' regular service in level-7 of the pay matrix and possessing B.Sc. (Chemistry) degree from a recognised University and one year diploma in Health and Sanitary Inspection from a recognised University or institution; and should have qualified the written test and viva-voce as prescribed in paragraph 204 of the Indian Railway Establishment Manual Volume I and also should have successfully undergone "Refresher Training Module" for Health and Malaria Inspector Grade-I conducted by the Zonal Training Institutes</p> <p><b>Note 1.-</b> The requirement of possessing B.Sc. (Chemistry) degree shall not be applicable in the case of Health and Malaria Inspector Grade-I who were recruited as Health Inspectors prior to issue of Ministry of Railway's letter No. E(NG)II/89/RR-1/7 dated 24.05.1990 or promoted as Health Inspector prior to issue of Ministry of Railway's letter No. E(NG)I/98/PM10/3 dated 09.09.1999</p> <p><b>Note 2.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service and are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Chief Medical Director of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Chairman;</li> <li>2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit – Member; and</li> <li>3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Department represented by officer at serial number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit — Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. 2010/E(G)RR/1/3]

NAVIN KUMAR, Executive Director, Estt.(Gaz. Cadre)